वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 25.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",आज, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, परफेक्ट मिशन," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

आज–दि0 25.04.2025

स्मार्ट काशी एप से अब मिलेगा अनापत्ति पत्र

विप्रा सभागार कार्यशाला में अधिकारी और इंजीनियर ने आवश्यक जानकारी प्राप्त की

अब भवन स्वामियों को नक्सा पास कराने के लिए अनापत्ति लेने के लिए नगर निगम जलकल विभाग के चक्कर नही लगाने होंगे। इस संबंध में विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर गुरुवार को नगर नियोजक प्रभात कुमार और अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य था कि नगर निगम से प्राप्त होने वाली अनापत्ति पत्र (एनओसी) को नई विधि से आनलाइन करने की जानकारी दी गयी इससे समय की बचत होगी और गृह स्वामियों को अनावश्यक भागदौड़ से बचेंगे। इसके लिए स्मार्ट काशी एप के माध्यम से पूरी तरह आनलाइन व्यवस्था की गयी है जिसमें कि आवश्यक जानकारी देने के बाद लोगों को अनापत्ति पत्र मिल सकता है। स्मार्ट काशी एप में लागिन कर आवेदन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज को पीडीएफ फाइल कर अपलोड के जरिये सबमिट किया जायेगा इसके उपरांत उसकी जांच की जायेगी जिसके लिए शुल्क का आनलाइन भुगतान भी आसानी पूर्वक किया जायेगा। आवश्यक जांच पड़ताल करने के बाद अनापत्ति पत्र एप के माध्यम से मिल जायेगा। इसके लिए किसी भी भु स्वामी को नगर निगम या विकास प्राधिकरण आफिसों के चक्कर नहीं काटने होंगे। समस्त प्रक्रिया निष्पादन के लिए राजस्व प्रभारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त घाटों पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के आयोजन में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भी स्मार्ट एप उपलब्ध रहेगा। इसमें भवन स्वामी १५ दिन पूर्व एप के माध्यम से फाईल दाखिल कर सकते हैं। बैठक में कुछ अभियंताओं ने संबंधित विषय में होने वाली परेशानी का जिक्र किया है जिसपर विशेषज्ञों ने समाधान किया। इससे पहले मानचित्र निस्तारण के लिए अनापत्ति पत्र लेने के लिए नगर निगम के राजस्व विभाग और जलकल विभाग का चक्कर काटना होता था तब जाकर लोगों को जानकारी मिलती थी। बैठक में सभी जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, जलकल के सदस्य पूर्वांचल लियल स्टेट असोसिएशन, आर्टिटेक इंजीनियर असोसिएशन के पदाधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

न्यायाधीश–दि0 25.04.2025

वाविप्रा द्वारा वार्ड-सारनाथ में की गई 03 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वीडीए द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-2, वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत कुल 03 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-सारनाथ, मौजा-गोईठहा, रिंग रोड के उत्तर के अन्तर्गत मधु देवी पतनी आर्यन द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 80 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल में जी+1 तल का निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसे उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया।वार्ड-सारनाथ, मौजा-हृदयपुर, रिंग रोड (उत्तर), के अन्तर्गत गुड्डू यादव पुत्र स्वामीनाथ द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 40 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल में भू-तल पर दुकानों का निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसे उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया।वार्ड-सारनाथ, मौजा-गोईठहा, रिंग रोड (उत्तर), के अन्तर्गतधीरू सिंह पुत्र दयाशंकर सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 150 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल में जी+1 तल का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश एवं अवर अभियंता विनोद कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

दैनिक जागरण–दि0 25.04.2025

तोड़ी अवैध प्लाटिंग तीन निर्माण सील

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण सचिव डा. वीपी मिश्रा के निर्देश पर गुरुवार को अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग और निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि नगवां वार्ड के कुरुहुआ में दो बीघा में वीडीए से बिना ले-आउट पास कराए अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही थी। बुलडोजर से सभी बाउंड्री को तोड़ दिया गया। उधर, जोन दो के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि सारनाथ वार्ड के गोईठहा में मधु देवी और धीरु सिंह, हृदयपुर में गुड्डू यादव अवैध तरीके से निर्माण कर रहे थे। सभी निर्माण को सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

हिन्दुस्तान–दि0 25.04.2025

भवन मानचित्र की एनओसी के लिए अब ऑनलाइन आवेदन

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। स्मार्ट काशी ऐप पर नगर निगम ने दो सुविधाएं शुरू की हैं। घाटों पर किसी नए आयोजन के लिए अनुमति के लिए ऐप पर 15 दिनों पहले आवेदन करना होगा। भवन निर्माण के लिए वीडीए से नक्शा स्वीकृत कराने की प्रक्रिया में नगर निगम से इस ऐप के माध्यम से एनओसी मिल सकेगी।

इसके लिए नगर निगम एवं जलकल कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। गुरुवार को वीडीए सभागार में कार्यशाला भी हुई। जिसमें नगर नियोजक प्रभात कुमार एवं सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव ने ऐप की विशेषताएं बताईं। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने राजस्व प्रभारी अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया है।

हिन्दुस्तान–दि0 25.04.2025

एनओसी के लिए नहीं लगाना होगा चक्कर

जागरण संवाददाता, वाराणसी : भवन स्वामियों की सुविधा को लेकर नगर निगम की ओर से जारी आनलाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) व्यवस्था को लागू करने के साथ विकास प्राधिकरण और नगर निगम कर्मचारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। उन्हें बताया गया कि नगर निगम के एप पर कैसे आवेदन किया जाए। क्या-क्या भरना है। कैसे-कैसे कर्मचारी और अधिकारी अप्रूवल करेंगे। विकास प्राधिकरण सभागार में नगर नियोजक प्रभात कुमार व अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव ने मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में नगर निगम से प्राप्त होने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र की नई प्रक्रिया की जानकारी दी। आनलाइन व्यवस्था से भवन स्वामी को निगम और जलकल विभाग कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

न्यायाधीश–दि0 25.04.2025

वाविप्रा जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-नगवां के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा मौजा-कुरुहुआ, थाना - रोहनिया लगभग 2 बीघा में अवैध प्लाटिंग बिना ले -आउट पास कराये अवैध प्लाटिंग विकशित की जा रही थी,उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, उक्त अवैध प्लाटिंग को आज 24.04.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियन्ता आर्दश निराला प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 25.04.2025

भवन स्वामियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन एनओसी की तैयारी शुरू

वीडीए अधिकारियों की हुई संयुक्त बैठक

वाराणसी (एसएनबी)। भवन स्वामियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन एनओसी जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में दोनों विभागों की संयुक्त कार्यशाला बैठक बृहस्पतिवार विकास प्राधिकरण के सभागार में की गई। नगर नियोजक प्रभात कुमार एवं सहायक नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में वाराणसी नगर निगम से प्राप्त होने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र की नई ऑनलाइन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी देना था। अब नगर निगम परिसीमन क्षेत्र में भवन मानचित्र स्वीकृति के लिए नगर निगम एवं जल कल का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नागरिकों को नगर निगम कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा स्मार्ट काशी ऐप के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है।

स्मार्ट काशी ऐप की प्रमुख विशेषताएं:

- स्मार्ट काशी ऐप पर लॉगिन कर आवेदन किया जा सकेगा।
- आवश्यक दस्तावेजों की पीडीएफ फाइल अपलोड कर सबमिट किया जाएगा।
- विभागीय जांचोपरांत निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर अनापत्ति प्रमाण पत्र ऐप से ही प्राप्त किया जा सकेगा।
- सम्पूर्ण प्रक्रिया की निगरानी और समयबद्ध निष्पादन के लिए राजस्व प्रभारी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, घाटों पर किसी भी प्रकार के इवेंट आयोजन के लिए परमिशन प्राप्त करने की सुविधा भी अब स्मार्ट काशी ऐप पर उपलब्ध है। आयोजकों को संबंधित आवेदन कम से कम 15 दिन पूर्व ऐप के माध्यम से फाइल करना अनिवार्य होगा।

कार्यशाला में प्राधिकरण के सभी जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, जलकल के सदस्य तथा पूर्वांचल रियल स्टेट एसोसिएशन, आर्किटेक्ट इंजिनियर एसोसिएशन, वाराणसी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे।

परफेक्ट मिशन–दि0 25.04.2025

भवन स्वामियों की सुविधा हेतू ऑनलाइन एनओसी की तैयारी शुरू

नगर निगम, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की हुई संयुक्त बैठक

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। भवन स्वामियों की सुविधा हेतु ऑनलाइन एन0ओ0सी0 जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस सम्बन्ध में दोनों विभागों की संयुक्त कार्यशाला बैठक बुधवार विकास प्राधिकरण के सभागार में की गई। नगर नियोजक प्रभात कुमार एवं सहायक नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में वाराणसी नगर निगम से प्राप्त होने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र की नई ऑनलाइन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी देना था।अब नगर निगम परिसीमन क्षेत्र में भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु नगर निगम एवं जल कल का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नागरिकों को नगर निगम कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा स्मार्ट काशी ऐप के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है।

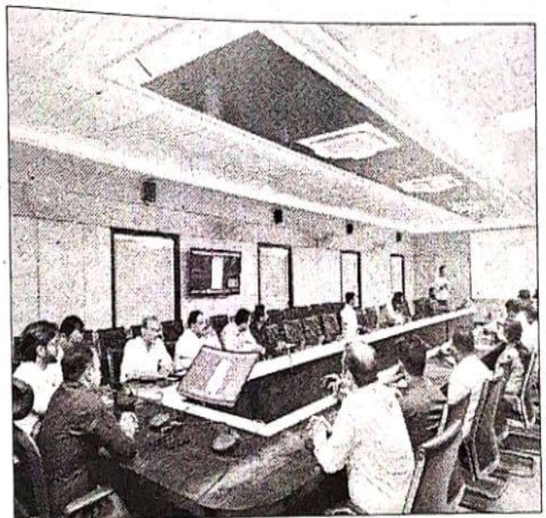

स्मार्ट काशी ऐप की प्रमुख विशेषताएं

स्मार्ट काशी ऐप पर लॉगिन कर आवेदन किया जा सकेगा।आवश्यक दस्तावेजों की पीडीएफ फाइल अपलोड कर सबमिट किया जाएगा।विभागीय जांचोपरांत निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर अनापत्ति प्रमाण पत्र ऐप से ही प्राप्त किया जा सकेगा।सम्पूर्ण प्रक्रिया की निगरानी और समयबद्ध निष्पादन हेतु राजस्व प्रभारी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है इसके अतिरिक्त, घाटों पर किसी भी प्रकार के इवेंट आयोजन हेतु परमिशन प्राप्त करने की सुविधा भी अब स्मार्ट काशी ऐप पर उपलब्ध है।

आयोजकों को संबंधित आवेदन कम से कम 15 दिन पूर्व ऐप के माध्यम से फाइल करना अनिवार्य होगा।कार्यशाला में प्राधिकरण के सभी जोनल अधिकारी , अवर अभियंता , जलकल के सदस्य तथा पूर्वांचल रियल स्टेट एशोसिएशन, आर्किटेक्ट इंजिनियर एशोसिएशन, वाराणसी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स एशोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 25.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कार्यशाला का किया आयोजन

वाराणसी । विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार प्राधिकरण सभागार में नगर नियोजक प्रभात कुमार एवं अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में वाराणसी नगर निगम से प्राप्त होने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र की नई ऑनलाइन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी देना था।अब नगर निगम परिसीमन क्षेत्र में भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु नगर निगम एवं जल कल का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नागरिकों को नगर निगम कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा स्मार्ट काशी ऐप के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है।स्मार्ट काशी ऐप पर लॉगिन कर आवेदन किया जा सकेगा।आवश्यक दस्तावेजों की पीडीएफ फाइल अपलोड कर सबमिट किया जाएगा।विभागीय जांचोपरांत निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर अनापत्ति प्रमाण पत्र ऐप से ही प्राप्त किया जा सकेगा।

सम्पूर्ण प्रक्रिया की निगरानी और समयबद्ध निष्पादन हेतु राजस्व प्रभारी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, घाटों पर किसी भी प्रकार के इवेंट आयोजन हेतु परमिशन प्राप्त करने की सुविधा भी अब स्मार्ट काशी ऐप पर उपलब्ध है। आयोजकों को संबंधित आवेदन कम से कम 15 दिन पूर्व ऐप के माध्यम से फाइल करना अनिवार्य होगा।कार्यशाला में प्राधिकरण के सभी जोनल अधिकारी , अवर अभियंता , जलकल के सदस्य तथा पूर्वांचल रियल स्टेट एशोसिएशन, आर्किटेक्ट इंजिनियर एशोसिएशन, वाराणसी बिल्डर्स एवं डेवलपेर्स एशोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे ।